



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256237
CG-DL-E-09082024-256237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3062]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2024/श्रावण 17, 1946

No. 3062]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2024/SHRAVANA 17, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

का.आ. 3212(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 का 50), (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के अधीन नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को कॉलम (2) में उल्लिखित क्षेत्रों के संबंध में कॉलम (3) में उल्लिखित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिचालन पेट्रोलियम पाइपलाइनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत करती है।

व्यक्तिकानामएवंपता	क्षेत्राधिकारक्षेत्र	पेट्रोलियमपाइपलाइनोंकानाम
(1)	(2)	(3)
श्री शिवम अग्रिहोत्री, वरिष्ठ प्रचालन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन (डब्ल्यूआरपीएल) राजकोट, गुजरात	गुजरात राज्य	1. सलाया मथुरा पाइपलाइन 2. मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन 3. कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन 4. कोयली जयपुर पानीपत पाइपलाइन 5. कोयली दहेज पाइपलाइन 6. कोयली रतलाम पाइपलाइन 7. कोयली अहमदनगर सोलापुर पाइपलाइन

इससे पूर्व एस.ओ. संख्या 2071 (अ) दिनांक 08.06.2016 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 13.06.2016 प्रकाशित गुजरात राज्य में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लि एपहले अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्री पी वी मेहता, उप प्रचालन प्रबंधक, को डी- नोटिफाइड समझा जाए।

यह अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/19/2018-ओआर-I/ई-27024]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2024

S.O. 3212(E).—In Pursuance of sub section (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said act) , the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the table given below to perform the functions of the Competent authority under the said Act for IndianOil Corporation Limited in respect of areas mentioned in column (2) for its operational petroleum pipelines laid under the said Act mentioned in column (3) of the said Table:

Name & Address of Person	Area of Jurisdiction	Name of Petroleum Pipelines (s)
(1)	(2)	(3)
Shri Shivam Agnihotri, Senior Operations Manager, IndianOil Corporation Limited Western Region Pipelines (WRPL) Rajkot, Gujarat	Gujarat State	1. Salaya Mathura Pipeline 2. Mundra Panipat Pipeline 3. Koyali Ahmedabad Pipeline 4. Koyali Jaipur Panipat Pipeline 5. Koyali Dahej Pipeline 6. Koyali Ratlam Pipeline 7. Koyali Ahmednagar Solapur Pipeline

Earlier notified Competent Authority for Indian Oil Corporation Limited in Gujarat State, Shri P V Mehta, Deputy Manager Operations, Indian Oil Corporation Limited, vide SO No 2071(E) 08.06.2016 published in the Gazette of India dated 13.06.2016 stands de-notified.

The Notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(11)/19/2018-OR-I/E-27024]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.